पत्रांक-3ए-3-भत्ता-01/2017- **5746** /वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक:-**30/07/2018**

विषय:- **बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों के लिए वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित) एवं राज्य के प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड) के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति के संबंध में।**

वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8717, दिनांक-19/09/2011 के द्वारा बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को 2000/- रुपये प्रतिवर्ष वर्दी भत्ता के रूप में एवं 200 रुपये प्रतिमाह वर्दी धुलाई भत्ता के रूप में भुगतान करने का निर्णय लिया गया था। साथ हीं वित्त विभागीय संकल्प संख्या-1281, दिनांक-14/02/2011 के द्वारा राज्य के प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड) में विभिन्न सेवाओं के प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों को मूल वेतन का 15 प्रतिशत प्रशिक्षण भत्ता की स्वीकृत दी गयी थी।

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24/05/2017 द्वारा राज्य कर्मियों को दिनांक-01/01/2016 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है। साथ ही वित्त विभागीय संकल्प संख्या-8043, दिनांक-11/10/2017, 8044, दिनांक-11/10/2017, 8045, दिनांक-11/10/2017 तथा 1172, दिनांक-15/02/2018 द्वारा राज्य कर्मियों को विभिन्न भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी जा चुकी है।

3. राज्य वेतन आयोग द्वारा बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों के लिए वर्दी एवं धुलाई भत्ता तथा राज्य के प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड) के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण भत्ता के पुनरीक्षित दर के सम्बन्ध में अनुशंसा नहीं होने के कारण इन भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति नहीं दी जा सकी। इस सम्बन्ध में विभागों द्वारा इन भत्तों के पुनरीक्षित दर सम्बन्धी सरकार के निर्णय की अपेक्षा की जा रही है। अतः उक्त भत्तों के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

4. सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि–

(i) बिहार अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों को वर्दी भत्ता (धुलाई भत्ता सहित) के रूप में ₹ 8000/- प्रतिवर्ष देय होगा। यह भत्ता वित्तीय वर्ष 2018–19 से प्रभावी होगा।

(ii) राज्य के प्रशासकीय प्रशिक्षण संस्थान (बिपार्ड) में प्रशिक्षण कार्य हेतु विभिन्न सेवाओं के प्रतिनियुक्त प्रशिक्षकों को आदेश निर्गत की तिथि से मूल वेतन का 12 प्रतिशत, प्रशिक्षण भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2017 -**5746/वि०** पटना, दिनांक-**30/07/2018**

प्रतिलिपि– महालेखाकार (ले० एवं हक०) का कार्यालय, वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2017 -**5746/वि०** पटना, दिनांक-**30/07/2018**

प्रतिलिपि– महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक-3ए-3-भत्ता-01/2017 -**5746/वि०** पटना, दिनांक-**30/07/2018**

प्रतिलिपि– सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ / सभी कोषागार पदाधिकारी / सभी जिला लेखा पदाधिकारी / प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग /अवर सचिव, वेतन निर्धारण प्रशाखा / सिस्टम एनालिस्ट (वित्त विभाग के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु) / प्रभारी ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

3A\Abhiyojan_Bipard\anil